FORM-21 C

(See Rule 64)

(For use in general election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

101- AJMER SOUTH (SC) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that –

SMT. ANITA BHADEL 646/28, VIKRAM MARG, BHAJANGANJ, AJMER

Sponsered by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – AJMER Date—11-12-2018

(Anjali Rajoria)
Returning Officer
101- Ajmer South (SC)Assembly Constituency
(Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate Ajmer)

प्ररूप- 21ग

(नियम 64 देखिये) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

101. अजमेर दक्षिण (अ.जा.)विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :--

श्रीमती अनिता भदेल 646 / 28, विक्रम मार्ग, भजनगंज, अजमेर

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई । उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं ।

स्थान :- अजमेर तारीख :- 11.12.2018

> (अंजली राजोरिया) रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 101. अजमेर दक्षिण (अ.जा.) उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर